छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा धमतरी,
जिला न्यायालय परिसर धमतरी छ.ग.

कमांक. क्यू/2024 **धमतरी, दिनांक 06/07/2024**

निविदा आमंत्रण सूचना

जिला न्यायालय परिसर धमतरी में कैंटीन/फोटो कॉपीयर/सायकल स्टैंण्ड के संचालन हेतु सक्षम निविदाकर्ता द्वारा बंद लिफाफा में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक बोलीदाता उल्लेखित व्यवसायों के संचालन हेतु निविदा का प्रारूप एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में अध्यक्ष, छ0ग0 न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा धमतरी, जिला न्यायालय परिसर धमतरी से अथवा जिला न्यायालय धमतरी की वेबसाईट https://dhamtari.dcourts.gov.inसे प्राप्त कर सकते है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि– 15/07/2024 (शाम 05 बजे तक)

निविदा खोले जाने का तिथि – 16/07/2024 को शाम पांच बजे

स्थान–कान्फ्रेंस हाल जिला न्यायालय परिसर धमतरी छ.ग.

अध्यक्ष,
छ.ग.न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला न्यायालय परिसर धमतरी छ.ग.

आवेदन पत्र

01. अनुमति के लिए आवेदन

(01) कैंटीन चलाने हेतु – जिला न्यायालय/जिला न्यायालय परिसर

(02) फोटोकापी मशीन चलाने हेतु– जिला न्यायालय/जिला न्यायालय परिसर

(03) सायकल स्टैंण्ड चलाने हेतु – जिला न्यायालय/जिला न्यायालय परिसर

जो लागू न हो उसे हटा दें

02. आवेदक का नाम :– ....

03. पूर्ण पता :– ....

....

04. पहचान का प्रमाण :– ....

(स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

05. निविदा हेतु बोली राशि :– ....

(मासिक लाईसेंस शुल्क एवं किराया)

कृपया आवेदन के साथ निविदा की 25 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा जो कि छ0ग0 न्यायिक कर्मचारी संघ धमतरी के नाम पर देय होगा, अनिवार्यतः प्रस्तुत करें, निविदा खुलने के बाद सफल निविदाकर्ता को छोड़कर शेष सभी निविदाकर्ता को निविदा की राशि जल्द से जल्द वापस कर दी जावेगी।

06. डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक और दिनांक

....

07. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा :–

....

08. निविदाकर्ता के द्वारा सभी कालम यथावत एवं साफ तरीके से भरे जाने होगे अगर कोई भी कमी आवेदन में पाई गई तो उक्त आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। निविदाकर्ता के द्वारा अपना स्वप्रमाणित पहचान पत्र साथ ही निविदा राशि की डिमांड डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जैसा कि उपरोक्तानुसार सरल क्र0 06 एवं 07 में उल्लेखित किया गया है, संलग्न करना होगा यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई गई तो उक्त निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नि ....
एतद् द्वारा सभी उत्तरदायित्व लेता/लेती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी जो निविदा में दी जा रही है, सत्य है और मैं हर परिस्थितियों में कैंटीन चलाने, फोटोकापी मशीन एवं सायकल स्टैंड चलाने हेतु जिला न्यायालय नियम 2017 में उल्लेखित नियमों का पालन करूंगा/करूंगी एवं किसी भी बिंदु पर अगर यह देखा गया कि मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी या उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन या नियमों से संबंधित किसी तथ्य को कटाया गया तो मेरे अनुबंध को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाये।

हस्ताक्षर— ....
नाम — ....

घोषणा

निविदा की शर्ते

1. आमंत्रित किये गए निविदा को किसी भी समय समक्ष प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकेगा।

2. निविदा के लिए समय सीमा दिनांक 15/07/2024 के शाम 05:00 बजे तक

3. निविदा को नीचे दिए गए पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जा सकेगा।

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ

जिला न्यायालय परिसर, धमतरी

जिला– धमतरी, छ0ग0

या यथा निर्धारित कार्यालय में जमा किया जावेगा।

4. सभी निविदाएं न्यूज पेपर में प्रकाशित अंतिम तिथि 15.07.2024 के शाम 05.00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा हो जाना चाहिए।

5. कैंन्टीन, सायकल स्टैंण्ड एवं फोटो कॉपियर मशीन संचालक हेतु प्राप्त पृथक–पृथक निविदा को क्रम से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति पर अगले ही कार्य दिवस पर संघ के अध्यक्ष एवं नियम–2017 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जाएगी।

6. सभी निविदा को खोलने के बाद जो भी उच्चतम बोली (दर) का सफल निविदाकर्ता होगा, की घोषणा पृथक–पृथक की जाएगी। अधिकृत अधिकारी द्वारा उस निविदाकार्ताओं को कैंन्टीन सायकल स्टैंण्ड एवं फोटो कॉपियर मशीन संचालन की अनुमति अनुबंध के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही शेष निविदाकर्ता जो कि उक्त निविदा में सम्मिलित हुए पर सफल नही हुए, उसके द्वारा किए गए निविदा की 25 प्रतिशत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अगले 07 कार्य दिवस के भीतर जल्द से जल्द वापस कर दिया जाएगा।

7. सफल निविदाकर्ता को निविदा की शेष 75 प्रतिशत राशि अगले 07 कार्य दिवस के भीतर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जो कि अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी

संघ धमतरी के नाम पर होनी चाहिए, जमा करना होगा। अगर ऐसा करने में उक्त निविदाकर्ता असफल रहा तो उसका अग्रिम जमा राशि जब्त कर उसकी बोली रद्द कर दिया जाएगा। निविदा हेतु बोली की संपूर्ण राशि 07 कार्य दिवस के भीतर जमा करने के पश्चात् ही उसे कैंन्टीन, सायकल स्टैंण्ड एवं फोटो कॉपियर मशीन संचालन हेतु अनुबंधित किया जाएगा तथा तभी उसे कैंन्टीन, सायकल स्टैंण्ड एवं फोटो कॉपियर मशीन संचालन की पात्रता होगी।

8. कैंन्टीन में बेची जाने वाली वस्तुएं बाजार दर से अधिक नही हागी। यदि संभव हो तो उसकी दर बाजार दर से कम हो, यदि संभव हो तो सभी खाने की वस्तुएं एम.आर.पी. दर से कम में बेचनी होगी। कोई भी वस्तु एम.आर.पी. दर से अधिक नही बेची जाएगी। खाने की वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान कैंटीन संचालक द्वारा दिये जाने वाले स्नैक्स,पेय पदार्थ अथवा खाद्य पदार्थ पर होने चाहिए।

9. कैंन्टीन संचालक अपने रसोईयों तथा उसके सहायक को साफ एप्रॉन, वर्दी उपलब्ध कराएगा।

10. विद्युत, पानी एवं रख—रखाव के सारे शुल्क कैंन्टीन संचालक द्वारा देय होगा। यह सायकल स्टैंण्ड, फोटो कॉपियर मशीन संचालक पर भी लागू होगा।

11. कैंन्टीन सायकल स्टैंण्ड एवं फोटोकॉपियर मशीन संचालक द्वारा लायसेंस/दो माह का किराया अग्रिम तौर पर संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। यह दर 31 मार्च तक प्रचालित होगी, इसके बाद किराया कैंन्टीन की निविदा राशि का 05 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा। कैंन्टीन संचालक को मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। अगर कैंन्टीन संचालक नियमो का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा। यह सायकल स्टैंण्ड एवं फोटोकॉपियर मशीन संचालक पर भी लागू होगा।

12. फोटोकॉपियर मशीन का संचालन माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा जिला न्यायालय परिसर में उपलब्ध कराये गये स्थान पर सफल निविदाकर्ता के द्वारा अपने स्वयं की फोटोकॉपी मशीन संस्थापित करेगा, साथ ही उक्त फोटोकॉपी मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति स्वयं करेगा।

13. जिला न्यायालय परिसर में सायकल स्टैंण्ड का संचालन सफल निविदाकर्ता सायकल स्टैंण्ड में खड़े किए गए सायकलों/वाहनो की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, साथ ही किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में वह नुकसान की भरपाई हेतु पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा।

14. समिति, सायकल स्टैंण्ड में विभिन्न प्रकार के वाहनों की दर तय करेगा, जो दैनिक/मासिक आधार पर होगी, जिसमें कर्मचारी/अधिवक्ता/पक्षकार शामिल होगें।

15. निविदा एक बंद लिफाफे में होगी। लिफाफे के बाहर, अंदर रखे दस्तावेज का विवरण अभिलिखित किया जाना होगा।

16. जो निविदाएं निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होगी, उन्हे खोला नही जाएगा और वापस कर दिया जाएगा। ऐसी निविदाओं को वापस किये जाने का दिन एवं समय की जानकारी मोहर बंद लिफाफे में उल्लेखित होगी।

17. निविदाकर्ताओं का फर्म का पता उल्लेखित करना होगा।

18. माननीय समिति से प्राप्त मासिक किराये की निर्धारित दर अनुसार कैंन्टीन हेतु न्यूनतम बोली राशि 2,000/– रू0 सायकल स्टैण्ड हेतु 3,500/– रू. एवं फोटोकॉपियर मशीन संचालन हेतु 1,500/– रू. की राशि समिति द्वारा निर्धारित की गई है।

(अशोक श्रीवास्तव)
सदस्य क02, कैंटीन, फोटोकॉपी एवं सायकल स्टैण्ड संचालन समिति एवं प्रशासनिक अधिकारी,धमतरी छ0ग0

(मोहन सिंह कोर्राम)
सदस्य क01, कैंटीन, फोटोकॉपी एवं सायकल स्टैण्ड संचालन समिति एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी धमतरी छ0ग0

(शैलेश कुमार तिवारी)
अध्यक्ष, कैंटीन, फोटोकॉपी एवं सायकल स्टैण्ड संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश धमतरी छ0ग0

कैंन्टीन हेतु निविदा की शर्ते–

1. कैंन्टीन संचालक के द्वारा कैंटीन में बेची जानी वाली वस्तुओं की दर बाजार दर से अधिक नही होगी। यदि संभव हो तो सभी खाने की वस्तुएं एम.आर.पी. दर से कम दर में विक्रय करना होगा। कोई भी वस्तु एम.आर.पी. दर से अधिक कीमत में क्रय नही विक्रय किया जायेगा।

2. कैंन्टीन संचालक खाने की वस्तु (स्नेक्स, पेय एवं खाद्‌य पदार्थ) की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगा।

3. कैन्टीन संचालक अपने रसोईया तथा उनके सहायक को एप्रान एवं वर्दी उपलब्ध करायेगा तथा अपने कर्मचारियों का व्यक्तिगत विवरण संघ की अध्यक्ष को उपलब्धता करायेगा।

4. कैन्टीन संचालक विद्युत, पानी, फर्नीचर एवं जो भी जरूरत/आवश्यक सुविधाओं के सारे व्यय स्वयं वहन करेगा।

5. कैन्टीन संचालक लाईसेंस/दो माह का किराया अग्रिम रूप से संघ के बैंक खाता में जमा करेगा वह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगा उसके बाद कैंन्टीन की बोली की राशि का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष किराया बढ़ाया जावेगा।

6. कैन्टीन संचालक मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खता में जमा करेगा यदि उक्त नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा कैंन्टीन संचालक को सूचना देते हुए उसक अनुबंध को समाप्त कर सकेगा।

7. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे किसी भी समय, किसी भी बिन्दू, पर बिना किसी पूर्व नोटिस के कैंन्टीन का अनुबंध समाप्त कर सकेंगे।

8. कैन्टीन संचालक को यह अधिकार होगा कि वे 45 दिनों की पूर्व सूचना देकर कैंटीन बंद करने की अनुमति प्राप्त कर अनुबंध समाप्त कर सकेगा, उस स्थिति में संघ के अध्यक्ष द्वारा 45 दिनों के समाप्ति पर संचालक द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि कैन्टीन संचालक को वापस करेगा।

9. कैन्टीन संचालक न्यायालय परिसर में कोई भी ऐसा कृत्य या आचरण नही करेगा जो न्यायालय के गरिमा के प्रतिकूल हो जैसे ध्रुमपान, नशा, जुआ खेलने या

खेलाना या कोई अन्य अपराधिक कार्य नही करेगा, तथा ग्राहको से सम्मानजनक व्यवहार करेगा।

10. कैन्टीन संचालक को प्रदान किये गये नियत स्थान पर ही अपना व्यवसाय करना होगा। अपनी जगह पर वह किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से न तो अपना कार्य करेगा और न अन्य व्यक्ति को जगह देगा।

(अशोक श्रीवास्तव)
सदस्य क02, कैंटीन, फोटोकॉपी एवं सायकल स्टैण्ड संचालन समिति एवं प्रशासनिक अधिकारी,धमतरी छ0ग0

(मोहन सिंह कोर्राम)
सदस्य क01, कैंटीन, फोटोकॉपी एवं सायकल स्टैण्ड संचालन समिति एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी धमतरी छ0ग0

(शैलेश कुमार तिवारी)
अध्यक्ष, कैंटीन, फोटोकॉपी एवं सायकल स्टैण्ड संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश धमतरी छ0ग0

फोटोकॉपियर मशीन हेतु निविदा की शर्ते–

1. फोटोकॉपियर मशीन संचालक लाईसेंस/दो माह का किराया अग्रिम रूप से संघ के बैंक खाता में जमा करेगा, यह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगा इसके बाद फोटोकॉपियर मशीन की बोली की राशि 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष किराया बढ़ाया जावेगा।

2. फोटोकॉपियर मशीन संचालक मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खाते में जमा करेगा यदि उक्त नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा फोटोकॉपियर मशीन संचालक को सूचना देते हुये उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा।

3. फोटोकॉपियर मशीन संचालक संघ की सहमति से फोटोकापी की दर निर्धारित करेगा तथा फोटोकापी की राशि प्राप्त करेगा।

4. फोटोकॉपियर मशीन संचालक विद्युत, पानी एवं जो भी जरूरत/आवश्यक सुविधाओं के सारे व्यय स्वयं वहन करेगा।

5. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे किसी भी समय, किसी भी बिन्दू, पर बिना किसी पूर्व नोटिस के फोटोकॉपियर मशीन के संचालन का अनुबंध समाप्त कर सकेंगे।

6. फोटोकॉपियर मशीन संचालक को यह अधिकार होगा कि वे 45 दिनों की पूर्व सूचना देकर फोटोकॉपियर मशीन बंद करने की अनुमति प्राप्त कर अनुबंध समाप्त कर सकेगा, उस स्थिति में संघ के अध्यक्ष द्वारा 45 दिनों के समाप्ति पर संचालक द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि फोटोकॉपियर मशीन के संचालक को वापस करेगा।

7. फोटोकॉपियर मशीन संचालक न्यायालय परिसर में कोई ऐसा तथ्य आचरण नही करेगा जो न्यायालय के गरिमा के प्रतिकूल हो जैसे धुम्रपान, नशा, जुआ खेलने या खेलाना या कोई अन्य अपराधिक कार्य नही करेगा।

8. फोटोकॉपियर मशीन संचालक को उक्त नियत स्थान पर ही अपना व्यवसाय करना होगा अपनी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से न तो अपना कार्य करेगा और न अन्य व्यक्ति को जगह देगा।

(अशोक श्रीवास्तव)
सदस्य क्र02, कैंटीन, फोटोकॉपी एवं सायकल स्टैण्ड संचालन समिति एवं प्रशासनिक अधिकारी,धमतरी छ0ग0

(मोहन सिंह कोर्राम)
सदस्य क्र01, कैंटीन, फोटोकॉपी एवं सायकल स्टैण्ड संचालन समिति एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी धमतरी छ0ग0

(शैलेश कुमार तिवारी)
अध्यक्ष, कैंटीन, फोटोकॉपी एवं सायकल स्टैण्ड संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश धमतरी छ0ग0

<u>वाहन स्टैंण्ड हेतु निविदा की शर्ते–</u>

1. सायकल स्टैंण्ड संचालक लाईसेंस/दो माह का किराया अग्रिम रूप से संघ के बैंक खाता में जमा करेगा यह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगा इसके बाद सायकल स्टैंण्ड की बोली की राशि का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष किराया बढ़ाया जावेगा।

2. सायकल स्टैंण्ड संचालक मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खाता में जमा करेगा यदि उक्त नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा सायकल स्टैंण्ड संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा।

3. सायकल स्टैंण्ड संचालक सायकल स्टैंण्ड में खड़े किये गये वाहन की रक्षा सुनिश्चित करेगा साथ ही अगर किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति वह पूर्ण रूप से स्वंय जिम्मेदार होगा।

4. सायकल स्टैंण्ड संचालक, मोटर सायकल तथा चार पहिया वाहनो का दैनिक मासिक किराया संघ की सहमति से निर्धारित कर उसके अनुरूप किराया वसूल करेगा।

5. सायकल स्टैंण्ड संचालक अपने सहायको को वर्दी उपलब्ध करायेगा तथा अपने कर्मचारियों का व्यक्तिगत विवरण संघ को देगा।

6. सायकल स्टैंण्ड संचालक विद्युत, पानी, फर्नीचर एवं जो भी जरूरत/आवश्यक सुविधाओं के सारे व्यय स्वयं वहन करेगा।

7. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे किसी भी समय, किसी भी बिन्दू, पर बिना किसी पूर्व नोटिस के सायकल स्टैण्ड के संचालन का अनुबंध समाप्त कर सकेंगे।

8. सायकल स्टैंण्ड संचालक को यह अधिकार होगा कि वे 45 दिनों की पूर्व सूचना देकर सायकल स्टैण्ड बंद करने की अनुमति प्राप्त कर अनुबंध समाप्त कर सकेगा, उस स्थिति में संघ के अध्यक्ष द्वारा 45 दिनों के समाप्ति पर संचालक द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि सायकल स्टैण्ड संचालक को वापस करेगा।

9. सायकल स्टैंण्ड संचालक न्यायालय परिसर में कोई भी ऐसा कृत्य या आचरण नही करेगा जो न्यायालय के गरिमा के प्रतिकूल हो जैसे ध्रुमपान, नशा, जुआ खेलने या खेलाना या कोई अन्य अपराध कार्य नहीं करेगा।

10. सायकल स्टैंण्ड संचालक को उक्त नियत स्थान पर ही अपना व्यवसाय करना होगा। अपनी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से न तो अपना कार्य करेगा और न अन्य व्यक्ति को जगह देगा।

(अशोक श्रीवास्तव)
सदस्य क02, कैंटीन, फोटोकॉपी एवं सायकल स्टैण्ड संचालन समिति एवं प्रशासनिक अधिकारी,धमतरी छ0ग0

(मोहन सिंह कोर्राम)
सदस्य क01, कैंटीन, फोटोकॉपी एवं सायकल स्टैण्ड संचालन समिति एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी धमतरी छ0ग0

(शैलेश कुमार तिवारी)
अध्यक्ष, कैंटीन, फोटोकॉपी एवं सायकल स्टैण्ड संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश धमतरी छ0ग0